सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

जयन्त सिन्हा
उप महाप्रबन्धक (सू0प्रौ0)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 संसद ने **21 जून 2005 को** पारित कर **किया।**
- अब यह कानून लागू भी कर दिया गया है।
- इस नए कानून के तहत भारत के हर नागरिक को एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार मिल गया है।
- इस कानून के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए निर्देशिका तैयार की गई है ताकि लोगों को मालूम हो कि यह कानून उनकी किस तरह मदद करेगा

पारदर्शिता और जिम्मेदारी

- इससे प्रशासन के हर स्तर पर अधिक पारदर्शिता रहेगी और जिम्मेदारी भी तय होगी।
- अब गांवों, क़स्बों और शहरों के सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे उन नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं की सच्ची जानकारी मांगें, जिनका संबंध उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी से है।
- इस कानून के दायरे में जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़ कर पूरा भारत है।

सूचना की परिभाषा Sec 2 (f)

- सूचना का मतलब है किसी भी रूप में रखी गई ऐसी कोई भी सामग्री, जिसकी किसी भी सरकारी अधिकारी को कानूनन जानकारी है।
- इनमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, अभिमत, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, अनुबंध, रिपोर्ट, काग़ज-पत्र, नमूने, मॉडल और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में रखा गया डाटा शामिल है।
- सूचना की परिभाषा में निजी संस्थानों से संबंधित ऐसी सभी जानकारियां भी शामिल हैं, जिन्हें मौजूदा कानूनों के आधार पर कोई भी सरकारी अधिकारी हासिल कर सकता हो

दस्तावेज़ और रिकॉर्ड
Sec 2 (j)

- इस कानून में आम लोगों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं-
  - कार्यों, दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना
  - दस्तावेज़ और अभिलेखों के नोट्स लेना, उनके अंशों की या पूरे दस्तावेज़ की फोटो कॉपी प्राप्त करना
  - सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना
  - प्रिंट आउट, डिस्ट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करना

सूचना मांगने का आवेदन

Sec 6 (1), (2)

- हिंदी, अंग्रेजी या संबंधित क्षेत्र की राजभाषा में लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को लिखित आवेदन दें या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन उन्हें भेजें।
- मांगी गई सूचना का कारण बताना जरूरी नहीं है।
- आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा कराना होता है।
- ग़रीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आने वालों के लिए आवेदन निशुल्क है।

सूचना कितने दिनों में मिल जाती है

Sec 7 (1), (2)

- आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी जाती है।
- किसी व्यक्ति की ज़िंदगी की सुरक्षा या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध करानी होती है।
- अगर आवेदन सहायक सूचना अधिकारी के पास भेजा गया है तो सूचना 35 दिनों में मिलती है।
- अगर सूचना देने से किसी तीसरे पक्ष के हित प्रभावित होते हों तो सूचना 40 दिनों में उपलब्ध कराई जाती है।
- तयशुदा समय सीमा में सूचना नहीं मिलती है तो माना जाएगा कि सूचना देने से इनकार कर दिया गया है।

आवेदन के साथ फीस

Sec 7 (3a),7(5),7(6)

- सूचना के हिसाब से शुल्क तय किया जाएगा और वह उचित लगने वाला आँकड़ा होगा।
- अगर आंकड़े वगैरह इकटठे करने की जरूरत है और उसके लिए अतिरिक्त शुल्क लेनो हो तो आवेदक को इसकी लिखित जानकारी दी जाती है।
- आवेदक को अधिकार है कि शुल्क के बारे में अपील कर सके।
- ग़रीबी की जीवन रेखा के नीचे रहने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
- अगर सूचना समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आवेदक को बाद में सूचना बिना किसी शुल्क के दी जाती है।

लोक सेवक Sec 4 (1b)

- लोक सेवक के दायरे में आने वाला अधिकारी निम्नलिखित बातों की सार्वजनिक घोषणा करेगा -
  - अपने संगठन/संस्था/कार्यालय का ब्यौरा, उसके कार्य और कर्तव्य
  - उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और जिम्मेदारियां
  - फैसले लेने की प्रक्रिया और पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही
  - कार्य का निर्वहन करने के लिए बनाए गए मानदंड
  - कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड
  - उसके अधीन रखे हुए दस्तावेज की वर्गीकरण
  - ऐसी किसी भी व्यवस्था की मौजूदगी का पूरा ब्यौरा, जो नीतियां, बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जनता के प्रतिनिधियों की राय लेने के बारे में हो या समाज के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में हो
  - संगठन/संस्था/कार्यालय द्वारा गठित ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण की घोषणा, जिसमें दो या उससे ज्यादा व्यक्ति हैं।

लोक सेवक Sec 4 (1b)

- अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम-पते और फोन नंबर की निर्देशिका
- अधिकारियों और कर्मचारियों में से हर एक को मिलने वाला मासिक वेतन और नियमों के मुताबिक मिलने वाली प्रतिपूर्ति रकम की प्रणाली
- सभी योजनाओं पर होने वाला प्रस्तावित खर्च, योजनाओं के लिए दिया जा चुका धन और काम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को आवंटित बजट
- सब्सिडी योजनाओं को पूरा करने की प्रणाली, उनके लिए खर्च की जाने वाली रकम और इन कार्यक्रमों का लाभ लेने वालों का ब्यौरा
- रियायतें, परमिट और अधिकार पत्र पाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई सूचना के संबंध में ब्यौरा
- सूचना हासिल करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी
- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य ब्यौरा

लोक प्राधिकारी

- संविधान के प्रावधानों के जरिए, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के जरिए और राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए किसी कानून के माध्यम से गठित किसी भी प्राधिकरण, निकाय या स्वायत्त शासन की संस्था को लोक प्राधिकारी माना गया है।
- सरकारों के स्वामित्व वाली और सरकार की वित्तीय मदद से चलने वाली संस्थाएं भी इसी दायरे में आती है।
- ऐसे गैर सरकारी संगठन भी लोक प्राधिकारी माने जाएंगे, जो सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय मदद से अपना काम करते हैं।

लोक सूचना अधिकारी

- नागरिकों को सूचना देने के लिए सरकारी संगठनों द्वारा नामजद किए जाने वाले अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी कहा जाएगा।
- महकमे के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध कराने के काम में लोक सूचना अधिकारी की पूरी मदद करनी होगी ताकि वह नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें दे सके।

लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी Sec 5 (3),(4), (5)

- सूचना मांगने वाले व्यक्ति से मिले अनुरोध पर लोक सूचना अधिकारी कार्रवाई करेगा।
- लिखित अनुरोध करने में नागरिकों को उचित सहायता करेगा।
- अगर मांगी गई सूचना किसी और महकमे से संबंध रखती है तो लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह पांच दिनों के भीतर आवेदन दूसरे मकहमे को भेज दे और आवेदक को इसकी फौरन जानेकारी दे कि उसका आवेदन दूसरे मकहमे या संगठन को भेज दिया गया है।
- लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए किसी भी दूसरे अधिकारी की मदद ले।

सूचना पाने के लिए
Sec 7 (1),(2),(3)

- सूचना पाने के लिए फीस सहित आवेदन मिलने के तीस दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी को या तो आवेदक को सूचना उपलब्ध करानी होगी या कारण बताते हुए अनुरोध अस्वीकार करना होगा।
- अगर किसी नागरिक द्वारा मांगी गई सूचना का संबंध उसके जीवन की सुरक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है तो लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना आवेदन मिलने के 48 घंटों के भीतर उपलब्ध करानी होगी।
- अगर नियमों के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो अपने आप यह मान लिया जाएगा कि लोक सूचना अधिकारी ने आवेदक का अनुरोध नामंजूर कर दिया है।

अनुरोध अस्वीकार कर देने की स्थिति में

- अनुरोध अस्वीकार कर देने की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह बताना होगा कि नामंजूरी की वजह क्या है, नामंजूरी के खिलाफ नागरिक कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता है और अपील कहां की जाए?
- नागरिकों को सूचना आमतौर पर उसी प्रारूप में उपलब्ध करानी होगी, जिस प्रारूप में सूचना मांगी गई है। लेकिन अगर संसाधन न होने की वजह से या किसी रिकॉर्ड की सुरक्षा या रखरखाव संबंधी कारणों से चाहे गए प्रारूप में सूचना उपलब्ध न कराई जा सकती हो तो लोक सूचना अधिकारी आवेदन को दूसरे प्रारूप में सूचना मुहैया करा सकता है।

मांगी गई सूचना
Sec 10 (1), (2)

- अगर मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है तो लोक सूचना अधिकारी आवेदक को यह नोटिस देगा कि उसे रिकॉर्ड के उस हिस्से के आधार पर ही सूचना मुहैया कराई जा रही है, जिसे सार्वजनिक किया जा सकता है।
- वह आवेदक को यह भी बताएगा कि किसी दस्तावेज़ या रिकॉर्ड के बाकी हिस्से को सार्वजनिक न किए जा सकने का फैसला लेने वाले अधिकारी का नाम और पद क्या है। आवेदक को यह जानकारी भी दी जाएगी कि पूरी सूचना नहीं किए जाने की वजह से क्या उसे फीस का कोई अंश वापस दिया जाएगा और रिकॉर्ड को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं करने के फैसले की समीक्षा कराने संबंधी उसके अधिकार क्या है?
- अगर आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध करानी है और वह दावा करता है कि सूचना गोपनीय है तो लोक सूचना अधिकारी पांच दिनों के भीतर तीसरे पक्ष को नोटिस देगा और उसे नोटिस मिलने के दस दिनों के भीतर अपनी बात रखने का अवसर देगा।

सूचना उपलब्ध नहीं कराने की छूट
Sec 8 (1), (2)

- जिस सूचना को सार्वजनिक करने से भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीति संबंधी वैज्ञानिक हितों या आर्थिक हितों और विदेशों से संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उकसावा मिलता हो
- जिस सूचना को जाहिर करने पर अदालत ने रोक लगा रखी हो या जिसे सार्वजनिक करने से अदालत की अवमानना होती हो
- जिस सूचना को उपलब्ध कराने से संसद या किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के विशेषाधिकार भंग होते हों
- जिस सूचना से क़ारोबारी विश्वास, व्यापार की गोपनीयता और बौद्धिक संपदा संबंधी मामलों पर उलटा असर पड़ता हो
- लेकिन अगर लोक सूचना अधिकारी को यह भरोसा हो जाता है कि ऐसी सूचना मुहैया कराना लोक हित में जरूरी है तो वह सूचना दे सकता है

सूचना उपलब्ध नहीं कराने की छूट
Sec 8 (1), (2)

- किसी भी विदेशी सरकार से आपसी विश्वास के नाते प्राप्त हुई सूचना
- जिस सूचना को जाहिर करने से किसी व्यक्ति की ज़िंदगी खतरे में पड़ती हो या उसकी शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता हो या सूचना के स्रोत की पहचान की वजह से और विश्वास में दी गई सहायता के मामले में कोई खतरा पैदा होता हो या किसी भी तरह के सुरक्षा इंतजामों को खतरा पैदा हो सकता हो
- ज़िस सूचना को सार्वज़निक करने से अपराधों की जांच-पड़ताल और अपराधियों को गिरफ्तार करने में अड़चन पड़े
- मंत्रिमंडल के ऐसे कागज-पत्र, जिन पर मंत्रियों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श की टिप्पणियों का रिकॉर्ड शामिल है
- जिस सूचना को सार्वजनिक करना न तो लोक हित के लिए जरूरी है और न ज़िससे कोई सार्वजनिक मकसद पूरा होता हो और जिससे किसी व्यक्ति के निजी जीवन और एकांत के अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ता हो
- ऐसी कोई भी सूचना, ज़िसका सार्वज़निक किया जाना भले लोक हित में हो, मगर जिसे जाहिर करने से संरक्षित हितों को नुकसान ज्यादा होता हो

आंशिक तौर पर सार्वजनिक करने की इजाजत

- किसी रिकॉर्ड के ऐसे हिस्से को, जिसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती, उस रिकॉर्ड के बाकी हिस्से से अलग किया जा सकता है और जो हिस्सा सार्वजनिक किया जा सकता है, उसके बारे में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

कानून किन-किन पर लागू नहीं

Sec 24

- संविधान की दूसरी अनुसूची में शामिल गुप्तचर और सुरक्षा संगठन कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है।
- गुप्तचर ब्यूरो, रॉ, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर ब्यूरो, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, विमानन अनुसंधान केंद्र, विशेष सीमांत बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम रायफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा-नगर हवेली पुलिस की विशेष सी.आई.डी. शाखाएं तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी कर घोषित किए जाने वाले अन्य कोई भी विभाग।
- लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी विभागों को सूचना नहीं देने की संपूर्ण छूट दे दी गई है। इन सभी विभागों और संगठनों की जि+म्मेदारी है कि वे भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में जानकारी प्रदान करें।
- मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों में जानकारी केंद्र या राज्य सूचना आयोगों की इजाजत मिलने के बाद ही दी जा सकती है।

सूचना देने से मना करने के क्या कारण

- अगर सूचना अधिकार कानून की धारा 8 के दायरे में संबंधित सूचना देने से छूट मिली हुई हो या धारा ९ के अनुसार कोई सूचना किसी किसी व्यक्ति के कॉपीराइट को प्रभावित करती हो तो ऐसी सूचना सार्वजनिक करने से इनकार किया जा सकता है।

केंद्रीय सूचना आयोग का गठन
Sec 13

- भारत सरकार के राजपत्र में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं।
- इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सभी आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाएगी। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।
- केंद्र सरकार की मंजूरी से देश के अन्य हिस्सों में भी आयोग के कार्यालय खोले जा सकते हैं। आयोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में किसी से निर्देश नहीं लेगा।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति Sec 13

- विधि एवं कानून, विज्ञान एवं तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, जनसंपर्क, पत्रकारिता, शासन और प्रशासन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति को इन पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- संसद, विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्य इन पदों पर नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति लाभ के किसी अन्य पद पर नहीं रहेगा, कोई व्यवसाय नहीं करेगा और किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं रहेगा।
- आयुक्तों को नियुक्त करने की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। समिति के बाकी सदस्यों में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामजद केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री रहेंगे।

मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल Sec 13 (1) – (5)

- मुख्य सूचना आयुक्त को अपना पद संभालने की तारीख से पांच वर्ष तक के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- वे अधिकतम ६5 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकेंगे। एक व्यक्ति को दोबारा इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाले वेतन के समान होगा।

सूचना आयुक्तों का कार्यकाल
Sec 13 (1) – (5)

- सूचना आयुक्तों का कार्यकाल भी पद संभालने की तारीख से पांच वर्ष का होगा। वे भी अधिकतम ६5 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकेंगे।
- सूचना आयुक्तों के पदों पर भी एक ही व्यक्ति की दोबारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन दोनों पदों पर कुल मिला कर वह पांच वर्ष की अवधि से ज्यादा समय काम नहीं कर सकेगा।
- सूचना आयुक्तों का वेतन निर्वाचन आयुक्तों को मिलने वाले वेतन के बराबर होगा।

राज्य सूचना आयोग
Sec 15

- राज्य सरकारें अपने राजपत्रों में सूचना आयोगों के गठन की अधिसूचनाएं प्रकाशित करेंगी।
- राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल उन सभी को शपथ ग्रहण कराएंगे।
- राज्य सरकार तय करेगी कि आयोग का मुख्यालय कहां होगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोग के कार्यालय खोलने के बारे में भी वही फैसला करेगी।
- राज्य आयोग भी किसी भी मकहमे से निर्देश लिए बिना अपना काम करेंगे।

राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति Sec 15

- नियुक्ति समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
- बाकी सदस्यों में विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामजद एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे।
- राज्य आयोग में मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पात्रता केंद्रीय आयोग में नियुक्ति की पात्रता जैसी ही रहेगी।
- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त के वेतन के बराबर रहेगा और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव को मिलने वाले वेतन के समान होगा।

सूचना आयोगों के अधिकार और कार्य Sec 18 (1)

- केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का कर्तव्य है कि वे ऐसे व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त करें -
  - जो इसलिए सूचना पाने का आवेदन नहीं दे सका कि लोक सूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं हुआ था
  - जिसे सूचना उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया गया हो
  - जिसे तयशुदा समय सीमा के भीतर अपनी सूचना के बारे में कोई जवाब नहीं मिला हो
  - जिससे आवेदन के साथ फीस के तौर पर ऐसी रकम मांगी गई हो, जिसे वह ठीक नहीं मानता
  - जिसे लगता है कि उसे दी गई सूचना अधूरी है, भ्रामक है या सही नहीं है

सूचना आयोगों के अधिकार और कार्य Sec 18 (3)

जिसे इस कानून के तहत सूचना प्राप्त करने संबंधी कोई भी और शिकायत है आयोगों को अधिकार होगा कि अगर उन्हें लगता है कि शिकायत उचित है तो वह उस पर जांच के आदेश दे। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को सिविल न्यायालय की तरह ही निम्नलिखित न्यायालयीन अधिकार होंगे-

– किसी को समन करना, अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहना, शपथ ले कर मौखिक गवाही देने को कहना, शपथ ले कर लिखित सबूत पेश करने को कहना और उन्हें दस्तावेज़ पेश करने को बाध्य करना
– दस्तावेज़ का निरीक्षण करना
– शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना
– किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपियां मांगना
– गवाहों से पूछताछ या दस्तावेज़ के परीक्षण के लिए समन जारी करना

सूचना आयोगों के अधिकार और कार्य Sec 19 (8)

- इससे संबंधित अन्य कोई भी विषय यह जरूरी होगा कि कानून के दायरे में आने वाले सभी दस्तावेज केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्तों को उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें ऐसा रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराना होगा, जिसे सार्वजनिक करने से छूट मिली हुई हो। आयोगों को अपने फैसलों का पालन कराने के लिए निम्नलिखित शक्तियां दी गई हैं
  - सूचना तक नागरिकों की पहुंच आसान कराना ताकि विशिष्ट प्रारूप में उसे सूचना मिल सके
  - अगर लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति कहीं न हुई हो तो संबंधित महकमें को ये नियुक्तियां करने के निर्देश देना
  - सूचना और उसके वर्ग को प्रकाशित करना
  - रिकॉर्ड रखे जाने के तरीके, उनके प्रबंधन के तरीके और रिकॉर्ड नष्ट किए जाने से संबंधित पद्धतियों में परिवर्तन करना
  - सूचना के अधिकार के बारे में अधिकारियों के प्रशिक्षण के दायरे को बढ़ाना
  - सूचना अधिकार कानून के पालन के बारे में विभिन्न महकमों से वार्षिक रिपोर्ट मांगना
  - शिकायत करने वाले को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करवाना
  - इस कानून के तहत जुर्माना करना
  - आवेदन को नामंजूर करना

कानून पर अमल की रिपोर्ट

- हर वर्ष के अंत में केंद्रीय सूचना आयोग इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा।
- हर मंत्रालय की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने मातहत आने वाले विभिन्न संगठनों और विभागों से आई रिपोर्ट को संकलित कर उसे केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग को भेजे।
- हर रिपोर्ट में प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या, नामंजूर कर दिए गए आवेदनों की संख्या, अपीलों की संख्या, की गई अनुशासिक कार्रवाइयों का विवरण, फीस और प्रभार के तौर पर वसूली गई धन राशि का ब्यौरा, वगैरह देना होगा।
- केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में पेश करेगी। राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी।

केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका

Sec 26

- सरकारें इस कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम करेंगी। ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम बनाएंगी कि लोगों को इस कानून के जरिए मिले अपने हक की व्यापक जानकारी मिले।
- सरकार के विभिन्न महकमों और संगठनों को ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनसे लोग जागरूक हों। सही जानकारी समय पर जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- सरकारें अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगी और उन्हें प्रशिक्षण सामग्री देंगी। राज्य सरकारें अपनी-अपनी राजभाषा में इस कानून के बारे में निर्देशिका प्रकाशित कर उनका व्यापक वितरण करेंगी।
- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद, पते और उनसे संपर्क करने के बाकी विवरण प्रकाशित करेंगी। सरकारें फीस के बारे में और इस कानून में लोगों को दिए गए अधिकारों के बारे में तफसील से ब्यौरा प्रकाशित-प्रसारित करेंगी।

कानून का पालन

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकेंगी। इस कानून की धारा 2 (ई) में बताया गया है कि और किन्हें नियम बनाने का अधिकार होगा।
- कानून की धारा 30 के मुताबिक केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि अगर इस कानून के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो वह राजपत्र में एक आदेश प्रकाशित करके उस कठिनाई को दूर करने के लिए जरूरी प्रावधान बना ले।

धन्यवाद